

राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.: 0141-2711938, 2711978

क्रमांक एफ ( )संस्थापन/असमावि/नोडल अधि./2015/ 4464

दिनांक :- 20/6/19

:: संशोधित आदेश ::

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ ( )संस्थापन/असमावि/अल्प. आयोग/2017/7572-83 दिनांक 09.05.2018 अनुसार पूर्व में नोडल अधिकारियों के नाम से जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए विभागीय वेबसाईट पर महत्वपूर्ण आदेश/परिपत्र/विज्ञप्ति एवं अन्य आवश्यक सामग्री को अपलोड करने एवं समय-समय पर अपडेशन करने हेतु नोडल अधिकारियों के पदनाम से निम्नानुसार नोडल अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	नोडल अधिकारी
1	उप निदेशक (प्रथम)	छात्रावास भवन निर्माण/ कौशल विकास प्रशिक्षण/विधानसभा व लोकसभा आदि से संबंधित मामले
2	उप निदेशक (द्वितीय)	छात्रवृत्ति/स्टोर/सूचना का अधिकार/ छात्रावास संचालन एवं निदेशालय से संबंधित अन्य मामले
3	उप निदेशक (पीएमजेवीके)	पीएमजेवीके एवं 15 सूत्री कार्यक्रम संबंधित मामले
4	प्रबन्ध निदेशक, RMFDC	RMFDC से संबंधित मामले
5	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ, जयपुर।	वक्फ बोर्ड एवं वक्फ ट्रिब्यूनल से संबंधित मामले
6	सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड	मदरसा बोर्ड से संबंधित मामले
7	सचिव, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग	राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित मामले
8	अधिकाारी अधिकारी, हज कमेटी	हज संबंधी मामले
9	अधिकाारी अधिकारी, वक्फ विकास परिषद्	वक्फ परिषद् से संबंधित मामले


उपरोक्त नोडल अधिकारी अपने से संबंधित विभागीय वेबसाईट को प्रतिदिन चेक करेंगे। इस हेतु उपरोक्त नोडल अधिकारियों को पूर्व में विभागीय वेबसाईट के पासवर्ड भी जरिये मेल प्रेषित किये गये थे, जिनकी छाया पुनः प्रेषित की जा रही है। कृपया अपने पासवर्ड को खोलकर वेबसाईट को चेक करें, यदि इसमें किसी प्रकार की कमी/कठिनाई पाई जाती है, तो इस संबंध में राजकॉम के अधिकारी श्री मोहम्मद असलम, प्रबंधक तकनीकी R.I.S.L से दूरभाष नं. 9413344076 पर सम्पर्क करें।

निदेशालय से संबंधित मामलो में निम्न सहायक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये जाते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का पदनाम	सहायक नोडल अधिकारी
1	सहायक निदेशक-प्रथम	छात्रावास संचालन/अल्पसंख्यक मान्यता एवं अन्य विभागीय योजना संबंधी मामलों के लिए।
2	सहायक निदेशक-द्वितीय	संस्थापन/जनसम्पर्क संबंधी मामलों के लिए।
3	सहायक निदेशक-तृतीय	पीएमजेवीके/15 सूत्रीय एवं कौशल विकास से संबंधित मामले
4	सहायक निदेशक-चतुर्थ	आयोजना/प्लान संबंधी मामले
5	वरिष्ठ लेखाधिकारी	लेखा संबंधी मामलों के लिए।
6	वरिष्ठ विधि अधिकारी	विधि संबंधी मामलों के लिए।

कृ.प.उ.

उक्त सहायक नोडल अधिकारी निदेशालय स्तर के अपने प्रकोष्ठ से संबंधित ऐसी सामग्री जो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होनी है, निदेशालय के नोडल अधिकारी के माध्यम से सूचना सहायक को अपलोड करने हेतु प्रस्तुत करेंगे। विभाग में कार्यरत सूचना सहायको को पाबन्द किया जाता है कि वे तत्काल सूचना को अपलोड कर, की गई कार्यवाही की सूचना संबंधित शाखा के सहायक नोडल अधिकारी के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।


  
(कैलाश बैस्वा)  
निदेशक

क्रमांक एफ ( )संस्थापन/असमावि/नोडल अधि./2015/

दिनांक :-

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर।
6. उपनिदेशक प्रथम/द्वितीय/पीएमजेवीके, कार्यालय हाजा।
7. प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एफ.डी.सी.सी. जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर।
9. सचिव, राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर।
11. अधिशाषी अधिकारी, हज कमेटी।
12. अधिशाषी अधिकारी, राजस्थान वक्फ विकास परिषद, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. सहायक निदेशक प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ, कार्यालय हाजा।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी/वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय हाजा।
15. समस्त सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
16. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक